डेली कॉलेज चुनाव में रोक पर हाईकोर्ट का इनकार, 13 मई को अगली सुनवाई

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9981382813

डेली कॉलेज के बोर्ड चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन (ओडीए) के छह पूर्व छात्रों ने नई याचिका दायर की है। हालांकि मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक (स्टे) देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को आपस में जोड़ते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 मई तय की है।

डेली कॉलेज चुनाव मामले में याचिका क्रमांक 15805/26 (नई याचिका) सहित पहले से लंबित तीन अन्य याचिकाओं को हाईकोर्ट ने एक साथ सुनने का निर्णय लिया है। नई याचिका कॉलेज के छह पूर्व छात्रों द्वारा दायर की गई है। इसमें मध्यप्रदेश

शासन, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी, डेली कॉलेज और असिस्टेंट रजिस्ट्रार राजकुमार अभंग को पक्षकार बनाया गया है।

पहले से भी लंबित हैं कई याचिकाएं- इससे पहले भी हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 10044, 13889 और 14390 लंबित हैं। इनमें एक याचिका संदीप पारिख द्वारा और एक स्वयं डेली कॉलेज की ओर से दायर की गई है। इसके अलावा कई पूर्व छात्रों विक्रम खंडेलवाल, नीरज देसाई, डॉ. सुमित शुक्ला, मधुकांत गर्ग, जयेश पटेल, ध्रुवराज सिंह, धनंजयसिंह गढ़ा आदि ने संयुक्त रूप से भी याचिका लगाई हुई है।

नए संविधान के आधार पर चुनाव

चुनाव अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 24 अप्रैल को फर्म एंड सोसायटी द्वारा नए संविधान को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब चुनाव पुराने संविधान के आधार पर नहीं कराए जा सकते। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही चुनाव कार्यक्रम 21 अप्रैल को घोषित हुआ था, लेकिन तब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी और न ही अंतिम मतदाता सूची जारी हुई थी, इसलिए नए संविधान के अनुसार चुनाव कराना पूरी तरह वैध है। चुनाव अधिकारी के अनुसार बोर्ड का कार्यकाल 12 जून तक ही है, इसलिए 90 दिन का समय देना संभव नहीं था। नए नियमों के तहत 30 दिन की समय सीमा में चुनाव कराना उचित है।

जारी है चुनाव प्रक्रिया

विवाद के बीच तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 और 29 अप्रैल को नामांकन हो रहे हैं। इस बार चुनाव केवल दो श्रेणियों ओल्ड डोनर (फाउंडर मेंबर) के दो पद और न्यू डोनर के एक पद के लिए हो रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुशील गुप्ता ने 27 अप्रैल को 21 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया था।

सदस्यता रद्द करने की मांग खारिज

इस बीच 152 आपत्तियां भी दर्ज हुईं, जिनमें एफआईआर के आधार पर संदीप पारिख, अनुराग जैन, रंजीत नामली और मानवीर बैस की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। चुनाव अधिकारी ने यह मांग खारिज करते हुए कहा कि यह मामला संविधान से जुड़ा है और इसका चुनाव प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है।

'युवा संगम' में तीन सौ से अधिक को मिलेगा रोजगार

इंदौर। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'युवा संगम' के अंतर्गत एक दिवसीय रोजगार मेला 4 मई को आयोजित होगा। मेला जिला प्रशासन के निर्देशन में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा जिला उद्योग केन्द्र परिसर में प्रातः 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक आयोजित होगा। रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी के अवसरों के साथ-साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण प्रक्रिया और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। मेले में एलबीजी स्टील, डिस्टिल एज्युकेशन, डीटी इंडस्ट्रीज, आईटीएल इंडस्ट्रीज, मोजैक प्राइवेट लिमिटेड, कोडरविंग तथा डिजी रिएक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। इन कंपनियों द्वारा 300 से अधिक रिक्त पदों पर प्रारंभिक चयन किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank | ब्रांच ऑफिस : ICICI बैंक लिमिटेड प्लॉट नंबर-23, शाल टावर, तीसरी मंज़िल, नई रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने ICICI बैंक से लिए गए लोन की मूलधन और ब्याज की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है। लोन को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के रूप में क्लासिफाई किया गया है। उन्हें उनके आखिरी ज्ञात पते पर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, यह नोटिस उन तक नहीं पहुंचा है और इसलिए उन्हें इस पब्लिक नोटिस के जरिए सूचित किया जा रहा है।

सं. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम (लोन अकाउंट नंबर और पता)	सुरक्षित संपत्ति का विवरण जिस पर कार्रवाई की जानी है	नोटिस भेजा गया नोटिस की तारीख तक बकाया	एनपीए तारीख
1.	आशुतोष कुमार मिश्रा (मृतक) इसके कानूनी उत्तराधिकारी /सोनेलाल मिश्रा (LBLUC00005119383) और कमला नगर, अस्थि रोड, कमलाबाद, बघौली, बख्शी का तालाब, उत्तर प्रदेश लखनऊ- 226201	मकान संख्या 96बी-16, जो प्लॉट संख्या 58 पर स्थित है, ग्राम-कमलाबाद बरौली, परगना-महोना, तहसील-बख्शी का तालाब, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226016 में स्थित है।	07/04/2026/ RS. 15,63,070.23/-	17/02/ 2026

ये कदम नोटिस की सब्स्टीट्यूटेड सर्विस के लिए उठाए जा रहे हैं। ऊपर बताए गए कर्जदार/गारंटर (जो भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के पब्लिश होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर बकाया पेमेंट कर दें। वरना, सिक्योरिटाइजेशन एंड री-कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तारीख : 29 अप्रैल, 2026
स्थान : इन्दौर

भवदीय, अधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

Yellow Diamond

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: खसरा नंबर 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर-452020, म.प्र., भारत
फोन: (91 731) 2437604 / 642; ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in; वेबसाइट: www.yellowdiamond.in

मार्च 31, 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई तथा उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उनकी संबंधित बैठकों में, जो कि 27 अप्रैल, 2026 को आयोजित हुई, अनुमोदित किया गया है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए पूर्ण लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in पर भी उपलब्ध हैं। उक्त परिणाम क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखे जा सकते हैं।

स्थान: इंदौर
दिनांक: अप्रैल 28, 2026

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
अमित कुमत
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 02663687

रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई

7.76 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9981382813

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मनी लॉण्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वर्तमान में स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड) की 7.76 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई 24 अप्रैल, 2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियां कंपनी के नाम पर दर्ज भूखंडों के रूप में हैं। इस कार्रवाई के बाद अब तक इस मामले में कुल अटैचमेंट की राशि बढ़कर 17.91 करोड़ हो चुकी है, जो जांच के दायरे और गंभीरता को दर्शाती है। जांच में सामने आया है कि कंपनी के प्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण हासिल किया गया था।

शेल कंपनियों के जरिए फंड डायवर्शन

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि प्राप्त किए गए ऋण को सीधे व्यवसाय में लगाने के बजाय विभिन्न शेल कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से इधर-उधर ट्रांसफर किया गया। इन लेन-देन के जरिए धन को जटिल नेटवर्क के माध्यम से घुमाकर वापस समूह की कंपनियों तक पहुंचाया गया और अंततः इसका दुरुपयोग किया गया।

पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई

इस मामले में इससे पहले भी ईडी इंदौर द्वारा 10.15 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है। लगातार हो रही इस कार्रवाई से साफ है कि एजेंसी पूरे नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच कर रही है। ईडी के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है।

इंडेक्स हॉस्पिटल में रोबोटिक तकनीक से होगा घुटना प्रत्यारोपण, बुजुर्ग मरीजों को राहत

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9009585701

इंडेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में कदम बढ़ाते हुए क्यूविस-ज्वॉइंट रोबोटिक सिस्टम के जरिए घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी की शुरुआत की है। अब तक ऐसी उन्नत सर्जरी के लिए मरीजों को मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा इंदौर में ही उपलब्ध हो गई है। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभागाध्यक्ष डॉ.

इंडेक्स में रोबोटिक सिस्टम से इलाज

अजयसिंह ठाकुर के नेतृत्व में यह तकनीक शुरू की गई है। इसके माध्यम से जटिल सर्जरी अधिक सटीकता के साथ की जा सकेगी और सफलता दर भी बेहतर होगी। खासतौर पर बुजुर्ग मरीजों के लिए यह तकनीक सुरक्षित और लाभकारी मानी जा रही है।

संघर्ष से सशक्त तक : 30 साल बाद फिर गूंजा 'इंदौर लेखिका संघ' का स्वर

दीप प्रज्जवलन कर किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ।

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9009585701

'हम सब जानते हैं कि लेखिका संघ की यह तीस साल की यात्रा कोई समतल धरातल पर गाड़ी दौड़ाने जैसी सरल नहीं थी।' यह बात मुख्य अतिथि प्रभा तिवारी ने इंदौर लेखिका संघ की 30 वर्ष की संघर्षपूर्ण यात्रा को रेखांकित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अनेक बाधाओं और प्रयासों के बावजूद संस्था निरंतर सक्रिय रही, जिसका श्रेय संस्थापक डॉ. स्वाति तिवारी की दृढ़ इच्छाशक्ति और कार्यप्रणाली को जाता है। इंदौर लेखिका संघ ने अपने 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अभिनव कला समाज सभागार में आयोजन के साथ नया आगाज किया। 'खुला आंगन-खिले स्त्री अभिव्यक्ति के स्वर' थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में 30 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से तीन दशक की यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पूजन से हुआ, जिसमें वंदिता श्रीवास्तव सहित विभिन्न पीढ़ियों की रचनाकारों ने सहभागिता निभाई।

AU SMALL FINANCE BANK
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेशवर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्योरिटाइजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/ सह-ऋणीयों/ गारण्टर/ बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनो के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तों प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी भी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3(5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/ सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर का नाम / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) L9001060117618920, लखन राठौड (ऋणी), श्रीमती नानी बाई (सहऋणी)	09-फरवरी-26 Rs. 3,04,130/- तीन लाख चार हजार एक सौ तीस रूपये मात्र 07-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित पटवारी हलका नं. 20, प्लॉट नं. 226, कादोडा, पंचायत रिकॉर्ड नं. 77, जिला इन्दौर, मप्र 453220, क्षेत्रफल 1440 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001071022754148, श्रीमती अलका तंवर (ऋणी), श्री हीरा बाई (सहऋणी)	09-फरवरी-26 Rs. 7,42,509/- सात लाख बयालीस हजार पांच सौ नौ रूपये मात्र 07-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित सर्वे नं. 203, पीएच नं. 64, 126, ग्राम जलवाय, तहसील पीथमपुर, जिला धार, मप्र, 454775, क्षेत्रफल 1352 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060734457501, संतोष कुमार चौहान (ऋणी), श्रीमती संगीता बाई चौहान (सहऋणी)	09-फरवरी-26 Rs. 7,63,843/- सात लाख तिरेसठ हजार आठ सौ तेतालीस रूपये मात्र, 07-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 06, वार्ड नं. 01, मौजा बागडीपुरा, तहसील हाटपिपलिया, जिला देवास, मप्र 455223, क्षेत्रफल 440 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001071020530438, अनिल चौहान (ऋणी), श्रीमती अंकिता चौहान (सहऋणी)	12-फरवरी-26 Rs. 7,40,058/- सात लाख चालीस हजार अट्ठावन रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित हलका नं. 61, नया नं. 35, ग्राम सेजवानी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर, मप्र क्षेत्रफल 1872 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001071021366782, इरफान (ऋणी), श्रीमती रजिया (सहऋणी), मोहसिन पटेल (सहऋणी)	12-फरवरी-26 Rs. 6,80,238/- छः लाख अस्सी हजार दो सौ अडतीस रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 38, सर्वे नं. 144, पटवारी हलका नं. 90, वार्ड नं. 03, ग्राम बबरदा, तहसील बदनावर, जिला धार, मप्र क्षेत्रफल 1440 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060133579800, तबरेज जाहिद (ऋणी), वसीम पटेल (सहऋणी), श्रीमती समा (सहऋणी)	12-फरवरी-26 Rs. 4,87,570/- चार लाख सतासी हजार पांच सौ सत्तर रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 645, वार्डनं. 02, 350 फीट बनिहार रोड के पश्चात, तहसील सैंधवा, जिला बडवानी, मप्र क्षेत्रफल 500 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060134791431, मैसर्स सिद्धेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराइटर वसुदेव पचाया (ऋणी), बलराम पचाया (सहऋणी), वसुदेव पचाया (सहऋणी)	12-फरवरी-26 Rs. 8,44,085/- आठ लाख चवालीस हजार पिच्यासी रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित प्लॉट नं. 01, फ्लैट नं. 301, तीसरी मंजिल, श्री बालाजी टॉवर, पुशपरतन पार्क, ग्राम देवगुराडिया, जिला इन्दौर, मप्र क्षेत्रफल 517.18 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060135219656, सचिन तरवरे (ऋणी), जितेन्द्र तरवरे (सहऋणी), मांगीलाल तरवरे (सहऋणी)	12-फरवरी-26 Rs. 5,15,496/- पांच लाख पन्द्रह हजार चार सौ छियानवे रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 205, वार्ड नं. 10 सावरकर पथ, ग्राम एवं तहसील अंजद, जिला बडवानी, मप्र क्षेत्रफल 492 वर्गफीट, संपत्ति स्थित मकान नं. 205, वार्ड नं. 10 सावरकर पथ, ग्राम एवं तहसील अंजद, जिला बडवानी, मप्र, क्षेत्रफल 241.5 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060831879723, मैसर्स मुकेश जनरल एण्ड किराना स्टोर्स (ऋणी), श्रीमती देवकन्या बाई (सहऋणी), मुकेश बैरागी (सहऋणी), भैरू दास (सहऋणी), श्रीमती दुर्गा बैरागी (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 11,69,275/- ग्यारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ पिचहत्तर रूपये मात्र, 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 124, वार्ड नं. 11, मंदिर, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर, मप्र 453220, क्षेत्रफल 300 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060114039299, सोमवीर सिंह शेखावत (ऋणी), श्रीमती उम्मेद बाई शेखावत (सहऋणी), सुमेर सिंह शेखावत (सहऋणी), विकास सिंह शेखावत (सहऋणी), मो. सादिक पटेल (गारंटर)	13-फरवरी-26 Rs. 8,67,597/- आठ लाख सडसठ हजार पांच सौ सतानवे रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान स्थित सर्वे नं. 74, पीएच नं. 61 ग्राम धन्नाद खुर्द, तहसील एवं जिला धार, मप्र क्षेत्रफल 475775, क्षेत्रफल 500 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060143847060, मैसर्स पटेल रेस्टोरेंट (ऋणी), शाहिद मोहम्मद (सहऋणी), श्रीमती तबस्सुम बी (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 13,11,939/- तेरह लाख ग्यारह हजार नौ सौ उनतालीस रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 80 हजरत खानशाह वाली वार्ड नं. 36, मौजा खण्डवा, खण्डवा तरफ कुम्भी, तहसील खण्डवा, आदर्श नगर खण्डवा, जिला खण्डवा (पूर्व निमार), मप्र 450001, क्षेत्रफल 1880 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060129810252, मैसर्स गोस्वामी ट्रेडर्स (ऋणी), श्रीमती पवित्रा गिरी गोस्वामी (सहऋणी), अजय गिरी गोस्वामी (सहऋणी), राधेश्याम गिरी गोस्वामी (सहऋणी), महेश यादव (गारंटर)	13-फरवरी-26 Rs. 9,11,149/- नौ लाख ग्यारह हजार एक सौ उनचास रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित खसरा नं. 410, पीएच नं. 10, मकान नं. 212, ग्राम मातमौर, रोड बागली, बागली, जिला देवास, मप्र 455227, क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060144841277, आँकार सिंह (ऋणी), दशरथ कुंवर (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 10,39,962/- दस लाख उनतालीस हजार नौ सौ बासठ रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 98, झरबरडिया अलोट, जिला रतलाम, मप्र 457114, क्षेत्रफल 700 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060122008542 & L9001060831154412, सोहन अम्बाराम बोदाना (ऋणी), श्रीमती पदमा बाई (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 1,47,673/- एक लाख सैंतालीस हजार छः सौ तिहत्तर रूपये मात्र एवं Rs. 1,47,012/- एक लाख सैंतालीस हजार बारह रूपये मात्र, 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 30, ग्राम आलमपुर ठिकरिया, तहसील ज्वारा, जिला रतलाम, मप्र क्षेत्रफल 570 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060132030940 & L9001060142719635, मैसर्स पाठक एन्टरप्राइजेज (ऋणी), महेश चन्द्र (सहऋणी), दीपक पाठक (सहऋणी), श्रीमती चांदनी पाठक (सहऋणी), भगवती प्रसाद (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 6,34,026/- छः लाख चौंतीस हजार छब्बीस रूपये मात्र एवं Rs. 4,08,660/- चार लाख आठ हजार छः सौ साठ रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित सरल नं. 2249, भूमि सर्वे नं. 904, पीएच नं. 34 ग्राम भूतिया खुर्द, सोनकच्छ देवास, जिला देवास, मप्र 455118, क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर
(ऋण खाता संख्या) L9001060124910498 & L9001060828062916, दिनेश भबोर (ऋणी), श्रीमती सुमित्रा भाबर (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 7,15,275/- सात लाख पन्द्रह हजार दो सौ पिचहत्तर रूपये मात्र एवं Rs. 4,86,401/- चार लाख छियासी हजार चार सौ एक रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित सर्वे नं. 416/मिन-1/1/2 प्लॉट नं. 12 जोबत मैन रोड, इन्दिरा आवास कस्बा अलिराजपुर, जिला अलिराजपुर, मप्र क्षेत्रफल 900 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060126057611, मैसर्स देव किराना स्टोर (ऋणी), गोपाल सिंह राठौड (सहऋणी), श्रीमती संगीता कुंवर राठौड (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 3,91,248/- तीन लाख इक्यानवे हजार दो सौ अडतालीस रूपये मात्र, 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान/ फ्लैट नं. 355, सरल नं. 1339, पीएच नं. 31 बीसाखेडी, सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र 455118, क्षेत्रफल 3200 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060126910322, मैसर्स राजेश ट्रेडर्स (ऋणी), राजेश सिन्दे (सहऋणी), श्रीमती संगीता सिन्दे (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 4,46,041/- चार लाख छियासी हजार इकतालीस रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 90, पीएच नं. 05, ग्राम पंचायत धंदेडा, ग्राम पाडल्या मोहाबा, सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र 455115, क्षेत्रफल 2457 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060127282570, यशवंत (ऋणी), श्रीमती दीपिका सेन (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 4,52,209/- चार लाख बावन हजार दो सौ नौ रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 61, पी एच नं. 39, ग्राम पंचायत झापडी, महेश्वर, खरगोन, जिला पश्चिम निमार, मप्र 451332, क्षेत्रफल 600 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060127866550, मैसर्स एम ए ट्रेडर्स जरिये प्रोपराइटर मुर्तजा बादशाहवाला (ऋणी), अलेफिया बादशाहवाला (सहऋणी), मुर्तजा बादशाहवाला (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 35,39,264/- पैंतीस लाख उनतालीस हजार दो सौ चौसठ रूपये मात्र, 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित टीन शेड फैक्ट्री, साईड भूमि प्लॉट नं. 7 (एमप्लून), सेक्टर-एफ, औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड, ग्राम नरवल, तहसील एवं जिला इन्दौर, मप्र क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060130030058 & L9001060142072831, मैसर्स देवी ट्रेडर्स (ऋणी), मोहनलाल पंवार (सहऋणी), देवीलाल सिंह (सहऋणी), श्रीमती राधा बाई (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 7,11,074/- सात लाख ग्यारह हजार चौहत्तर रूपये मात्र एवं Rs. 7,63,864/- सात लाख तिरेसठ हजार आठ सौ चौसठ रूपये मात्र, 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित सरल नं. 2207, पीएच नं. 14, मकान नं. 98, तूंगनी, रोड सोनकच्छ, सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र 455118, क्षेत्रफल 6900 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060148977933, मैसर्स बागवान ट्रेडर्स (ऋणी), जमना प्रसाद बागवान (सहऋणी), श्रीमती कविता बाई बागवान (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 4,45,737/- चार लाख पैंतालीस हजार सात सौ सैंतीस रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित सरल नं. 2195, मकान नं. 116, पीएच नं. 08, सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र 455118, क्षेत्रफल 2150 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060138173713 & L9001060145853404, मैसर्स भरत किराना एवं दूध डेयरी (ऋणी), भरत सिंह चौहान (सहऋणी), श्रीमती देवास कुंवर (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 10,56,706/- दस लाख छप्पन हजार सात सौ छः रूपये मात्र एवं Rs. 6,24,606/- छः लाख चौबीस हजार छः सौ छः रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित भूमि सर्वे नं. 113-1-1-1-1 दौलतगंज, मैन रोड, जिला रतलाम, मप्र 457114, क्षेत्रफल 371.74 वर्गमीटर
(ऋण खाता संख्या) L9001060140409983 & L9001060145992782, मैसर्स गिरी ट्रेडर्स (ऋणी), महेन्द्र गिरी (सहऋणी), राहुल गिरी (सहऋणी), जगदीश गिरी (सहऋणी), श्रीमती सुगन बाई (सहऋणी), श्रीमती पूजा बाई गिरी (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 4,25,169/- चार लाख पच्चीस हजार एक सौ उनहत्तर रूपये मात्र एवं Rs. 10,51,272/- दस लाख इक्यावन हजार दो सौ बहत्तर रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित पट्टा सर्टिफिकेट नं. 191, पीएच नं. 41, ग्राम लोदिया, शाजापुर, जिला शाजापुर, मप्र 465001, क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060134455836, मैसर्स लेबल 53 (ऋणी), हकीमुद्दीन सैफई (ऋणी), श्रीमती फातिमा सैफदर दाहोदवाला (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 43,81,579/- तेतालीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ उनयासी रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित फ्लैट नं. 706, सर्वे नं. 694/2, सातवीं मंजिल, क्रिस्टल अपार्टमेन्ट, ग्राम बिजलपुर, तहसील एवं जिला इन्दौर, मप्र क्षेत्रफल 1630 वर्गफीट बिल्ट अप
(ऋण खाता संख्या) L9001060139244225, मैसर्स धारा सिंह ट्रेडर्स (ऋणी), धारा सिंह (सहऋणी), श्रीमती कला बाई (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 10,35,225/- दस लाख पैंतीस हजार दो सौ पच्चीस रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित सरल नं. 2382, मकान नं. 55, पीएच नं. 66 राम मंदिर, वार्ड नं. 55, ग्राम सरसोदा, सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र 455118, क्षेत्रफल 1980 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060141951106, गोपाल सिंह (ऋणी), श्रीमती पवित्रा कुंवर (सहऋणी), भैरू सिंह (सहऋणी), तूफान सिंह (सहऋणी), श्रीमती मुन्ना बाई (सहऋणी)	13-फरवरी-26 Rs. 5,21,680/- पांच लाख इक्कीस हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र 10-फरवरी-26 तक	संपत्ति स्थित ग्राम कालू खेडा, ग्राम पंचायत लोतिया कृष्णा